# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

**पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार**
**आई0ए0एस0**

**प्रा0 पत्र सं0 70/2010 प्रा0पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970**

**सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा जिला दौसा**

..प्रार्थी

**बनाम**

**ग्यारसा पुत्र रामपाल कुम्हार निवासी प्यारीवास तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान (लाऔलाद फोत)**

..अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवण्टननियम–1970**

उपस्थित–1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

**निर्णय** **दिनांक:25.3.2026**

1. संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सैटलमेंट से पूर्व अप्रार्थी ग्यारसा पुत्र नामालुम जाति कुम्हार निवासी प्यारीवास को ग्राम प्यारीवास स्थित भूमि खसरा नंबर 436/667 रकबा 0.33 है0 का आवंटन निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
2. प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 दर्ज रजिस्टर कियागया। अप्रार्थी को तलब किया गया।
3. राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि आवंटी/गैर खातेदार ग्यारसा पुत्र नामालुम जाति कुम्हार निवासी प्यारीवास तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान को ग्राम प्यारीवास स्थित भूमि खसरा नंबर 436/667 रकबा 0.33है. भूमि का आवंटन सैटलमेंट से पूर्व होने पर जरिये नामान्तरण सं0 8 द्वारा आवंटी को गैर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक गैर खातेदार ने आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं कर भूमि उपयोग में नहीं ली है। आवंटी/गैर खातेदार द्वारा भूमि कब्जे/अधिकार में नहीं ले रखी है। आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः आवंटन का प्रयोजन निष्फल हो रहा है।
4. तहसीलदार नांगल राजावतान ने अवगत कराया है कि अप्रार्थी ग्यारसा पुत्र रामपाल जाति कुम्हार निवासी मानपुरिया लाऔलाद फोत हो गया है।
5. पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, दौसा के प्रार्थना पत्र तथा पटवारी हल्का/गिरदावर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 06.02.2004 का भली–भांति अवलोकन व परिशीलन किया गया।
6. तहसीलदार नांगल राजावतान की रिपोर्ट दिनांक 21.6.2023 एवं दिनांक 5.1.2026 की रिपोर्ट यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि ग्राम प्यारीवास स्थित खसरा नं. 436/667 (रकबा 0.33 हैक्टेयर) के गैर–खातेदार आवंटी ग्यारसा (पुत्र [illegible] की है। आवंटित भूमि पर विगत 10–20 वर्षों से न तो आवंटी द्वारा और न ही उस[illegible] वारिसान द्वारा काश्त की जा रही है। मौके पर कब्जे, मेड़बंदी अथवा भूमि [illegible] नहीं पाया गया है और उक्त भूमि वर्तमान में पूर्णतः बंजर एवं पड़[illegible] है।
7. आवंटी/वारिसान द्वारा भूमि का कृषि कार्य हेतु उप[illegible] न करना आवंटन [illegible] का स्पष्ट उल्लंघन है, जिससे भूमि आवंटन का मूल प्रयोजन ही निष्फल हो रहा है।

अतः मैं, जिला कलक्टर, दौसा, राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित करता हूँ:

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:43:32 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर, दौसा

8. गैर–खातेदार आवंटी ग्यारसा के पक्ष में ग्राम प्यारीवास स्थित खसरा नंबर 436/667 रकबा 0.33 हैक्टेयर का किया गया पूर्व आवंटन तुरंत प्रभाव से निरस्त (Cancel) किया जाता है
9. उक्त आवंटित भूमि को वापस राज्य सरकार के पक्ष में (बहक सरकार/सिवायचक) घोषित किया जाता है।
10. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 41 (1) के अनुसार केवल खातेदारी भूमि को ही हस्तान्तरण योग्य माना गया है ना कि गैर खातेदारी भूमि को (स्टेट बनाम जगदीश 1974 आरआरडी 640) चूंकि प्रश्नगत भूमि वर्तमान में गैर खातेदारी भूमि है। इस कारण अप्रार्थी ग्यारसा के नाऔलाद फोत होने पर उसके भाई के पुत्रों को कायम मुकामान प्रतिस्थापित नहीं किया गया है।
11. तहसीलदार, नांगल राजावतान को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश के क्रम में राजस्व रिकॉर्ड में तदनुसार इन्द्राज (अमल–दरामद) सुनिश्चित करें और नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाएं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। निर्णय की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार तहसील नांगल राजावतान को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 25 मार्च, 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:43:32 IST
Reason: SelfAttested